

## कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)  
पत्रांक: /14-1,(13877/2015) दिनांक:अलीगढ़, मई: 18, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**विषय:-** कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex. Post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0-537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति।

**सन्दर्भ:-** 1-भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू.पी./06/40/2017/एफ0सी0/609 दिनांक 03.01.2022  
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 11सी-2071/FP/UP/Others/13877/2015 दिनांक 11.01.2022  
3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक-4442/FP/UP/Others/13877/2015 दिनांक 09.05.2022

महोदय,

कृप्या भारत सरकार, वन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र से जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0-537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गई है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के सन्दर्भित पत्र से शर्तवार अनुपालन आख्या 04 प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या 03 प्रति निम्नवत संलग्न सहित प्रेषित है-

S.No.	Condition	Compliance
1	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in Tuamai Forest Block Range & District-Aligarh at the cost of User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	प्रयोक्ता एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुआमई वन ब्लाक में चिन्हित 100 पौधों के रोपण हेतु अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशि से स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा एवं बहुप्रजाति रोपण प्रणाली का उपयोग किया जायेगा।
3	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for	शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0-128600.00 (एक लाख अठ्ठाइस हजार छः सौ मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2 व 3)

	10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.075012 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry Vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5- 3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 के सम्बन्ध में दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 एवं 09/05/2008 को निर्गत आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 18.09.2003, 03.10.2006 व 05.02.2009 के क्रम में निर्धारित एन0पी0वी0 दरों के अनुसार विभिन्न पार्श्वकित रिट पिटीशन आदेशों के अनुसार निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि 9,57,780/- की दर से 0.075012 X 9,57,780 = 71,845.00 (इकहत्तर हजार आठ सौ पैतालीस मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2 व 3)
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
6	Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29.01.2018 and deposited to CAMPA fund.	शर्त के अनुपालन में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि ₹00 2,41,399.00 (दो लाख इक्तालीस हजार तीन सौ निर्यान्चे मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2 व 3)
7	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)
8	Greenery will be maintained by User Agency around Periphery of petrol pump.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-6)
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी, अलीगढ़ महोदय द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 सम्बन्धित प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति से पूर्व फाइल में संलग्न किया गया है। संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-7)
10	User Agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-8)
11	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-9)

12	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MoRTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-10)
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-11)
14	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-12)
15	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission.	प्रस्ताव ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर प्रदर्शित न होने के कारण, सूचनाएँ अपलोड किया जा पाना सम्भव नहीं है। प्रस्ताव ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर आवश्यक सूचनाएँ अपलोड करा दी जायेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कार्य करने की अनुमति निर्गत नहीं की गयी है।
16	A report with full details of violation shall be submitted by the State Government to initiate proceedings under Section 3B of Forest (conservation) Act and Rule 9 of Forest Conservation Rules 2003.	शर्त के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक प-35/11-2 दिनांक 03.05.2005 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चार बिन्दुओं की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-13)
17	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-14)
18	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ).	शर्त के अनुपालन में समस्त मांग की गयी धनराशि, कैम्पा फण्ड में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी है। Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
19	The Compliance Report shall be uploaded on e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ).	अनुपालन आख्या को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ). पर अपलोड करा दिया गया है।
	CA amount as per proposal	1,28,600.00
	CA amount deposited	1,28,600.00
	Difference in amount	0
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	46,958.00
	NPV amount deposited	71,845.00
	Difference in amount	24,887.00
	Reason for difference	Due to increase in NPV rates as per MoEF letter dated 06.01.2022 and 19.01.2022.

Any other amount deposited- (Complete details be provided)	NA
Penal NPV amount as per proposal	52,593.00
Penal NPV amount deposited	2,41,399.00
Difference in amount	1,88,806.00
Reason for difference	Due to increase in NPV rates as per MoEF letter dated 06.01.2022 and increase in the number of year of violation.
CAMPA confirmation	Not required as amount has been submitted by Online e payment process. Online Payment History enclosed herewith.

अतः उपरोक्त शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि जमा की पुष्टि हेतु Online Payment History की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

प्रभागीय निदेशक अलीगढ़  
क्रमांक 10243  
फाईल नं 147  
दिनांक 24-5-22

भवदीया,

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 3167 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

आ. 121  
10/20  
M.H.  
24-5-22

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 4442 / 14-10, अलीगढ़: दिनांक: अप्रैल, 09, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex. Post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8वीं/यू.पी./06/40/2017/एफ0सी0/609 दिनांक 03.01.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 11सी-2071/FP/UP/Others/13877/2015 दिनांक 11.01.2022

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। शर्तवार अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु आपके संदर्भित पत्र द्वारा लिखा गया है। शर्तानुसार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है-

S.No.	Condition	Compliance
1	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त के अनुपालन में वनवृद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in Tuamai Forest Block Range & District-Aligarh at the cost of User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	प्रयोक्ता एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु टुआमई वन ब्लॉक में विहित 100 पौधों के रोपण हेतु अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्राप्त धनराशि से स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा एवं बहुप्रजाति रोपण प्रणाली का उपयोग किया जायेगा।
3	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि -रु0-128600.00 (एक लाख अट्ठाइस हजार छः सौ मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2 व 3)
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.075012 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008; 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry Vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 के सम्बन्ध में दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 एवं 09/05/2008 को निर्गत आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 18.09.2003, 03.10.2006 व 05.02.2009 के क्रम में निर्धारित एन0पी0वी0 दरों के अनुसार विभिन्न पार्श्वीकृत रिट पिटीशन आदेशों के अनुसार निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि 9,57,780/- की दर से 0.075012 X 9,57,780 = 71,845.00 (इकहत्तर हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2 व 3)

5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
6	Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29.01.2018 and deposited to CAMPA fund.	शर्त के अनुपालन में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2,41,399.00 (दो लाख इक्तालीस हजार तीन सौ नियान्वे मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2 व 3)
7	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)
8	Greenery will be maintained by User Agency around Periphery of petrol pump.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-6)
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी, अलीगढ़ महोदय द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 सम्बन्धित प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति से पूर्व फाइल में संलग्न किया गया है। संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-7)
10	User Agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-8)
11	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-9)
12	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MoRTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-10)
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-11)
14	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-12)
15	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission.	प्रस्ताव ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर प्रदर्शित न होने के कारण, सूचनाएं अपलोड किया जा पाना सम्भव नहीं है। प्रस्ताव ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर आवश्यक सूचनाएं अपलोड करा दी जायेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कार्य करने की अनुमति निर्गत नहीं की गयी है।
16	A report with full details of violation shall be submitted by the State Government to initiate proceedings under Section 3B of Forest (conservation) Act and Rule 9 of Forest Conservation Rules 2003.	शर्त के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक प-35/11-2 दिनांक 03.05.2005 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चार बिन्दुओं की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-13)
17	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-14)
18	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ).	शर्त के अनुपालन में समस्त मांग की गयी धनराशि, कैम्पा फण्ड में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी है। Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)

19	The Compliance Report shall be uploaded on e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ).	अनुपालन आख्या को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ), पर अपलोड करा दिया गया है।
	CA amount as per proposal	1,28,600.00
	CA amount deposited	1,28,600.00
	Difference in amount	0
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	46,958.00
	NPV amount deposited	71,845.00
	Difference in amount	24,887.00
	Reason for difference	Due to increase in NPV rates as per MoEF letter dated 06.01.2022 and 19.01.2022.
	Any other amount deposited- (Complete details be provided)	NA
	Penal NPV amount as per proposal	52,593.00
	Penal NPV amount deposited	2,41,399.00
	Difference in amount	1,88,806.00
	Reason for difference	Due to increase in NPV rates as per MoEF letter dated 06.01.2022 and increase in the number of year of violation.
	CAMPA confirmation	Not required as amount has been submitted by Online e payment process. Online Payment History enclosed herewith.

अतः उपरोक्त शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि जमा की पुष्टि हेतु Online Payment History की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः अनुपालन आख्या को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ, को भेजने का कष्ट करें ताकि विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक ५५५२ / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा, उ०प्र० लखनऊ को 12-कॉलम की सूचना सहित।

(संलग्नक- 12-कॉलम की सूचना)

2. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, 2314, तीसरी मंजिल, टॉवर ए.द कोरेन्थम, ए-41, सेक्टर-62, नोएडा-201309 (उ०प्र०)।

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

510

पत्रांक -  
सेवा में,

दिनांक-

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
अलीगढ़।

विषय:- कार्यापरान्त स्वीकृति (Ex. Post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0. 075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू.पी./06/40/2017/एफ0सी0/609 दिनांक 03.01.2022 एवं आपका पत्रांक 3236/अलीगढ़/13877/2015 दिनांक 31.01.2022

उपरोक्त विशयक के सम्बंध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि0 03.01.2022 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके क्रम में आपके संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त निर्धारित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

S.No.	Condition	Compliance
1	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि -रु0-128600.00 (एक लाख अट्ठाइस हजार छः सौ मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2 व 3)
3	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.075012 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry Vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 के सम्बन्ध में दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 एवं 09/05/2008 को निर्गत आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 18.09.2003, 03.10.2006 व 05.02.2009 के क्रम में निर्धारित एन0पी0वी0 दरों के अनुसार विभिन्न पारस्वांकित रिट पिटीशन आदेशों के अनुसार निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि 9,57,780/- की दर से 0.075012 X 9,57,780 = 71,845.00 (इकहत्तर हजार आठ सौ पैतालीस मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2 व 3)
4	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)

	Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
5	Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29.01.2018 and deposited to CAMPA fund.	शर्त के अनुपालन में दण्डात्मक एनपीवी की घनराशि रू० 2,41,399.00 (दो लाख इक्तासीस हजार तीन सौ नितान्धे मात्र) ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2 व 3)
6	Greenery will be maintained by User Agency around Periphery of petrol pump.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)
7	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी, अलीगढ़ महोदय द्वारा निर्गत एफ०आर०ए० सम्बन्धित प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति से पूर्व फाइल में संलग्न किया गया है। संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-6)
8	User Agency shall use the land between entry and exit of petrol pump for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-7)
9	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-8)
10	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-9)
11	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-10)
12	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-11)
13	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ).	शर्त के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-12)
14	The Compliance Report shall be uploaded on e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ).	अनुपालन आख्या को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ). पर अपलोड करा दिया गया है। (संलग्नक-13)

नायरा एनर्जी लिमिटेड (एनएनईएल लि०)

Authorised Signatory

**Nayara Energy Limited**  
World Trade Tower , 1105 - 06, 11th Floor, Sector - 16,  
Noida, 201301, Uttar Pradesh, India

**Registered Office:**  
Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India  
T +91 2833 661444 | F +91 2833 662929

CIN: U11100GJ1989PLC032116  
[www.nayaraenergy.com](http://www.nayaraenergy.com)

शर्त संख्या-1 के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना के अंतर्गत प्रभावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)  
Divisional Director,  
Social Forestry Division, Aligarh

Date ..10/05/2022.....

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)  
For Nayara Energy Limite

Authorised Signatory

शर्त संख्या-5 के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना में यदि एन0पी0वी0 की धनराशि संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा कराने के लिये एस्सार ऑयल लिमिटेड बाध्य होगा।

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)  
Divisional Director,  
Forestry Division, Aligarh

W/ 10/05/2025

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)  
of Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Paid (in Rs.)	Amount to be Paid/Amount PRINCIPLE Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	<p>FP/UP/Others/13877/2015                      (-/Viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/13877/2015)</p> <p>Retail Outlet by Essar Oil Ltd.A-5,Sector-3,Moinda at KM.26.320 on RH-S.of SH.80,Aligarh-Raya-Mathura Road at Kharsa no.537,Village-Biswali in Tahsil Jglas,Distt-Aligarh</p>	OTH-ERS138772015139	19913877139	03 Jan 2022	CA: 128600/- Addl CA 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA 0/- NPV: 71845/- Penalty :241399/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 441844/-	Paid	Fund Demand Verified by 03 Feb 2022 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS Challan (Challan) Generated On 18 Feb 2022 Transaction Date 05 Mar 2022	Demand Letter (-/Writersaddata/Fundpdf/010220221603567134_FPUPOthers138772015_User_Fund_Demanded_8448h-ix) Generated Challan (-/UserAccount/Netf_Challan.aspx?pid=OTHERS138772015139)

Authorised Signatory  
 for Nayara Energy Limited

BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)  
 myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)  
 india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (WWW.MYGOV.IN/)  
 Meity (HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTPS://DATA.GOV.IN/)  
 Digital India (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India  
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (Contact.aspx)

For any technical support, Please Contact EFCCID,  
 NIC, New Delhi, monitoring-rc(at)nic(dot)in  
**Countersigned**  
 (Diwakar Kumar Vashishth)  
 Divisional Director,  
 Social Forestry Division, Aligarh  
 Date 18.10.22

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-02-2022

Agency Name.	Essar Oil Limited
Application No.	19913877139
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/40/2017/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	A-5 SECTOR -3 NOIDA (U.P.)Gautam Buddha Nagar
Amount(In Rs)	441844/-

Amount In Words :Four Lakh Forty-One Thousand Eight Hundred and Forty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1509019913877139 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Counter signed

(Diwakar Kumar Vashishth)  
Divisional Director,  
Social Forestry Division, Aligarh

Date ..18/02/22..... HPFCR 520 22030 SS 504385

After making successful payment, User Agencies m  
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through ch  
ovon after 7 working days, then kindly mail a copy o  
Email: cb0371@unionbankofindia.com

For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory



शर्त संख्या-7 के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना में न्यूनतम वृक्षों का पातन, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के निर्देशन में उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु एस्सार ऑयल लि0 द्वारा कटिंग, फ़ैलिंग, लॉगिंग एवं ट्रांसपोट्रेशन चार्जेस वन निगम को भुगतान किया जायेगा।

Countersigned  


(Diwakar Kuntar Vashishth)  
Divisional Director,  
Social Forestry Division, Aligarh.

Date ...10/05/2022.....

नायरा एनर्जी लि0 (एस्सार ऑयल लि0)

For Nayara Energy Limited  
  
Authorised Signatory

शर्त संख्या-8 के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट के चारों ओर हरियाली रखी जायेगी। इस हेतु एस्सार ऑयल लि0 वचनवद्ध है।

Countersigned  
(Diwakar Kumar Vashishth)  
Divisional Director,  
Social Forestry Division, Aligarh  
Date ...10/05/2022.....

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)  
For Nayara Energy Limited  
Authorised Signatory

Government of Uttar Pradesh  
Office of the District Collector  
ALIGARH.

No. 1897/FRA-Bisawali

Date. 28/11/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF).

Government of India's letter No. 11-09/98-FC(pt) dated 28<sup>th</sup> October 2014 it is certified that 0.075012 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Essar Oil Limited (name of user agency) for Construction of approach road to retail outlet on Aligarh-Mathura Road (SH-80) at km 27 (Ch. 26.320) on the right side at Khasra No. 537 (purpose of diversion of forest land) in Aligarh district falls within jurisdiction of Gram Sabha- Bisawali in Iglas tehsil.

It is further certified that the forest land proposed to be diverted in plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per Census-2001 and the Census-2011.

  
( D.P. Gupta)  
Divisional Director,  
Social Forestry Division,  
Aligarh.

  
19-11-15  
(Dr. Balkar Singh)  
District Magistrate,  
Aligarh.



शर्त संख्या-10 के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)  
Divisional Director,  
Social Forestry Division, Aligarh  
Date ..10/05/2024.....

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)  
Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

शर्त संख्या-11 के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा फ्यूल स्टेशन की भीतरी सीमा पर भी वृक्षारोपण कराया जायेगा।

Countersigned

(Nivakar Kumar Vashishth)

Divisional Director,

Forest Forestry Division, Aligarh

Date ...10/05/2023...

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

For Nayara Energy Ltd.

Authorised Signatory

Condition No. 12

CERTIFICATE

Proposed protected forest land to be diverted for Entry/Exit of approach to Nayara Energy Ltd, (formely Essar Oil Ltd) Retail Outlet on Aligarh-Raya-Mathura Road RHS Km 27 Ch. 26.320 kh. no.- 537 Vill.- Bisawali, Teh.- Iglas, Distt- Aligarh. As per Condition No. 12, it is certified that proposed RO is not in close proximity of any exiting RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013.

  
(Diwakar Kumar Vashishth)  
Divisional Director,  
Social Forest Division, Aligarh.

अध्यापक निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
अलीगढ़

शर्त संख्या-13 के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना में प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमांकन, परियोजना की धनराशि से एस्सार ऑयल लि0 द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग के दिशा-निर्देशन में किया जायेगा।

Countersigned

(Diwakar Kumar/Vashishth)  
Divisional Director,  
Social Forestry Division, Aligarh  
Date ..10/05/2022.....

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)  
For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

शर्त संख्या-14 के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित परियोजना में प्रत्यावर्तन की अवधि एस्सार ऑयल लि0 को दी जाने वाली लीज की अवधि के समकालीन होगी अथवा परियोजना की अवधि के समान होगी, जो भी कम हो।

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashisht)  
Divisional Director,  
Social Forestry Division, Aligarh  
Date ..10/05/2022.....

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)  
For Nayara Energy Limited

Authorised Signatory

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु बिना सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने से प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक प-35/11-2 दिनांक 03.05.2005 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव Proposal No. : FP/UP/Others/13877/2015 प्रकिया पूर्ण करने से पूर्व गैर वानिकी प्रयोग कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में 4 बिन्दुओं पर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है।

- (1) स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, स्थल का विवरण, मानचित्र, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण:-
  - (A) स्थल का विवरण- अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537, तहसील-इगलास, जनपद- अलीगढ़
  - (B) भूमि का क्षेत्रफल- 0.075012 है0
  - (C) मानचित्र- प्रस्तावित स्थल का मानचित्र (Layout Plan) प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
  - (D) अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण- प्रकरण में 07 वृक्षों का पातन प्रस्तावित था। जिसमें से वर्तमान में मात्र 02 वृक्ष यूकेलिप्टस हरे मौके पर खड़े हैं एवं शेष 05 वृक्ष यूकेलिप्टस जो सूख गये थे, सरकारी छपान लाट सं0 36 वर्ष 2017-18 में छपान कर पातन वन निगम द्वारा किया गया है। अतः अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।
2. रिपोर्ट:- एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेंगे जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होंगे जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।
 

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने संस्था के रिटेल आउटलेट हेतु अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537, तहसील-इगलास, जनपद- अलीगढ़ पर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UP/Others/13877/2015 प्रस्तुत किया गया है, जो कि संस्तुति संहित उ0प्र0 शासन स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। जिस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 द्वारा आपत्ति लगायी गयी हैं। प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसका मौका निरीक्षण पर तथ्य सही पाये जाने पर, इगलास रेंज द्वारा केस सं0 02/इगलास/18-19 दि0 21.02.2019 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी। अतः प्रकरण में निम्न अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

श्री अतुल कुमार - प्रभागीय प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लि0, (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस, सेक्टर-16 बी, आवास विकास, सिकन्द्राबोदला, आगरा।

3. वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण-

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में इगलास रेंज द्वारा केस सं० 02/इगलास/18-19 दि० 21.02.2019 द्वारा एच००२ केस इजरा किया गया है। निर्गत एच० 2 केस को रू० 10000.00 के प्रतिकर के साथ Compound किया गया है। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.075012 हे० संरक्षित वन भूमि पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है।

4. यदि किसी भूल-चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी-

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2015 में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। जिसके उपरांत ही प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा संस्तुति सहित दिनांक 14.12.2015 को समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। जिससे स्पष्ट है, कि प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। जिसकी पुष्टि तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 22.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी है। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस०एच०-80) किमी० चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली, तहसील-इगलास के खसरा सं०- 537 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में उनके द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अलीगढ़ के पत्रांक 711/एन०ओ०सी०/पेट्रो०अनु०/16 दिनांक 05.03.2016 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यस्थल पर कार्य पूर्ण कराया गया। अतः प्रकरण में किसी भूल-चूल होने की सम्भावना नगण्य है।

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

10/2

शर्त संख्या-17 के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अलीगढ़ में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु परियोजना में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

Counter signed

(Diwakar Kumar Vashishth)  
Divisional Director,  
Social Forestry Division, Aligarh  
Date 22/01/2023

नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0)

Authorised Signatory

For Nayara Energy Limited

To,

Officer on Special Duty,  
Ad-hoc CAMPA,  
202 Trikoot I, Bhikaji Cama Place,  
New Delhi-110066

Please confirm the amount whether deposited in CAMPA or not through return Email of [vermalalji68@gmail.com](mailto:vermalalji68@gmail.com)

**Proforma**

1	Name of the Regional office	Lucknow
2	State/Distt./Forest Division to which the proposal relates	Social Forestry Division, Aligarh, UP
3	Name of the User Agency, nature of proposal	Diversion of Protected Forest land for access road to Retail Outlet of M/S Nayara Energy Ltd. (formely Essar Oil Ltd) at Village-Bisawali Khasra No.537, on Chainage 26.320 on RHS of Aligarh-Raya-Mathura Road, Tehsil -Iglas District- Aligarh, <b>Proposal No. FP/UP/Others/13877/2015</b>
4	Extent of forest area involved	0.075012 ha.
5	Whether original, or extension	Original
6	If extension of lease, pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	No
7	Date of 1 <sup>st</sup> Stage Clearance	03.01.2022
8	Extent of CAMPA charges, headwise viz:	
	(a) Compensatory Afforestation	Rs. 1,28,600.00 (One lakh twenty eight thousand six hundred only)
	(b) Additional CA	--
	(c) Penal CA	--
	(d) Catchment area treatment	--
	(e) Wildlife Management Plan	--
	(f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas	--
	(g) Net Present Value	Rs. 71,845.00 (Seventy one thousand eight hundred forty five only)
	(h) Any other charges/ Levies(pl Specify)	---
	Penal NPV	Rs. 2,41,399.00 (Two lakh forty one thousand three hundred ninety nine only)
9	Details of Bank ( Bank, Draft no., Date & Amount), headwise against items indcated in paragraph & above.	---
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	Deposited by NEFT (A) Compensatory Afforestation Rs. Rs. 1,28,600.00 (One lakh twenty eight thousand six hundred only) (B) Net Present Value Rs. 71,845.00 (Seventy one thousand eight hundred forty five only) (C) Penal NPV Rs. 2,41,399.00 (Two lakh forty one thousand three hundred ninety nine only)
11	Bank ( corporation bank, lodhi Complex/ Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition	Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block-11, CGO Complex, Phase 1, Lodhi Road, New Delhi-110003, Payment by NEFT/RTGS through NEFT/RTGS UTR No.- HDFCRS2022030551504385 dated 05.03.2022
12	Any other remarks	---

Signature & Seal

शामाजिक वानिकी प्रभाग  
अधीन